न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	53/2024
दायर दिनांक	:	01.07.2024
निर्णय दिनांक	:	26.03.2025

1. सूर्य प्रकाश पुत्र स्व. लल्लूलाल जाति ब्राह्मण, निवासी खारी कोठी मोहल्ला दौसा हाल निवासी शिक्षक कॉलोनी दौसा
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. लल्लूलाल जाति ब्राह्मण, निवासी खारी कोठी मोहल्ला दौसा हाल निवासी शिक्षक कॉलोनी दौसा
3. केशव कुमार पुत्र स्व. लल्लूलाल जाति ब्राह्मण, निवासी खारी कोठी मोहल्ला दौसा हाल निवासी अरावली बिहार दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण तहसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं। ग्राम नामोलाव तहसील दौसा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3577/1, 3578, 3579/1 कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 है. स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी हैं। उक्त भूमि से किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना–देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास अन्य लोगों की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में दिनांक 12.06.2024 को कराया जा चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवं किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थरगढी व तारबन्दी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नामोलाव तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3577/1, 3578, 3579/1 कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 है. की मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारबन्दी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी द्वारा बावजूद अवसर न्यायालय के समक्ष जवाब पेश न किये जाने के कारण अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या : 53/2024
सूर्य प्रकाश वगै. बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 26.03.2025

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार संवत् 2072–2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) अनुसार ग्राम नामोलाव तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3577/1, 3578, 3579/1 कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 है॰ की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2024 अनुसार प्रश्नगत आराजी का दिनांक 12.06.2024 को सीमाज्ञान होने की पुष्टि होती है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम नामोलाव तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3577/1, 3578, 3579/1 कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 है॰ का अनुभवी पटवारियों/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested